प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 11 अगस्त, 2021*

विषय केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीकृष्ण पुत्र ऐदल सिंह निवासी जनपद-फिरोजाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 11-02-2021 दिनांक 22-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीकृष्ण पुत्र ऐदल सिंह, ग्राम-उस्मानपुर, थाना-बसई मौहम्मदपुर, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। बन्दी द्वारा पूर्व से चल रही रंजिश को लेकर दिनांक 14.04.1996 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल व तमंचा से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-574/1996 में भा0द0वि0 की धारा-307/149, 302/149 व 148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई0सी0 एक्ट), आगरा के आदेश दिनांक 28.07.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.09.2020 तक 15 वर्ष 02 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 02 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई समाज के लिये उचित नहीं होने, बन्दी के समयपूर्व रिहा होने पर पुन: अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, वादी के परिवारीजन के पडोसी होने के कारण बदले की भावना से पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रतिकूल होने एवं आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, बन्दी का स्वास्थ्य संतोषजनक होने एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीकृष्ण (बन्दी संख्या-12255) पुत्र ऐदल सिंह निवासी जनपद-फिरोजाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-148/2021/824(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in